न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 09 आर 15/07–08

मनोहर उरांव — अपीलकर्ता

बनाम

सोनामनी देवी वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

15/
15.01.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 05/06–07 से 11/06–07 में अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा दिनांक 26.03.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने वाद संख्या 07/06707 में संयुक्त रुप से आदेश पारित करते हुए अपीलकर्ता द्वारा निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु दायर उपरोक्त सभी वादों को खारिज कर दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
सेनाहातु	58	1662	1.06 एकड़

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में मोचिया उरांव एवं दलगोविन्द उरांव पिता करिया उरांव के नाम दर्ज है। अपीलकर्ता के दादा बुधानलाल उरांव का जन्म रिविजनल सर्वे के ठीक बाद में हुआ, अतः खतियान में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। खतियानी रैयत मोचिया उरांव एवं दलगोविन्द उरांव की निःसंतान मृत्यु हो गयी। बुधनलाल उरांव के दो पुत्र मंगल उरांव एव एतवा उरांव हुए। एतवा उरांव की भी नाबल्द मृत्यु हो गयी एवं मंगल उरांव के दो पुत्र मनोहर उरांव एवं चुरपा उरांव हैं जो इस वाद में अपीलकर्ता हैं। वर्तमान में रिविजनल सर्वे चल रहा है। मंगल उरांव की मृत्यु के समय अपीलकर्त्ता नाबालिग थे, इसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 3 विमला देवी ने जबरन जमीन हड़प लिया और बाकी सारे प्रतिवादियों को हस्तांतरित कर दिया। वर्ष 2006 में विमला देवी ने सोनाहातु थाने में आवेदन दिया कि अपीलकर्त्ता ने प्लाट नं 357 में लगा हुआ

1

पेड़ काटलिया है। पुलिस ने जॉचोपरान्त यह आरोप गलत पाया। इसके बाद विमला देवी ने धारा 379 भा. द. वि. के अंतर्गत शिकायत वाद दायर किया जो खारिज हो गया। अपीलकर्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के न्यायालय में जमीन वापसी हेतु सात वाद दायर किया था जो खारिज हो गया।

प्रतिवादियों ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि इस मामले में अपीलकर्त्ता या उसके पूर्वजों से जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ है अतः एस ए आर वाद संधारणीय नहीं है। खतियान में अपीलकर्त्ता के दादा का नाम नहीं है और वे यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि उनके दादा का जन्म रिविजनल सर्वे के तुरन्त बाद हुआ था। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वंशावली भी गलत है क्योकि धारा 144 द. प्र. सं. के अंतर्गत वाद सं. एम 412/86 में मंगला उरांव ने स्वीकार किया है कि वे करिया उरांव के बहन के पुत्र है। अपीलकर्ता ने बंदोबस्त पदाधिकारी,, रॉची के न्यायालय में रिविजन वाद संख्या 1369/सोनाहातु/93 धारा 89 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दायर किया था जिसमें प्रस्तुत वंशावली में भी अपने को करिया उरांव की बहन का वंशज बताया था। इस प्रकार रिविजन वाद संख्या 206/सोनाहातु/94 में मंगल उरांव ने अपने को चमन उरांव की बहन माला देवी का वंशज बताया था। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा धारा 83 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश को रिविजनल न्यायालय ने धारा 89 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निरस्त कर दिया है। प्रतिवादी विमला देवी रामकिस्टो उरांव की पुत्री है एवं रामविलास उरांव की पत्नी है। रामकिस्टो उरांव ने विमला देवी एवं उसके पति रामविलास उरांव को उरांव परम्परा के अनुसार घरदामाद के रुप में अपने पास रखा था। इसकी सम्पुष्टि ग्रामपंचायत सोनाहातु द्वारा भी की गयी है। घर दामाद के रुप में विमला देवी के पति रामविलास उरांव खाता नं. 221 प्लॉट नं.–1668 रकबा 1.54 एकड़ जमीन पर दखलकार हुए। दाखिल खारिज

वाद संख्या 192/92–93 द्वारा विमला देवी के नाम नामांतरण भी स्वीकृत हुआ जिसमें किसी ने आपत्ति नहीं किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया जिन्होंने बहस के दौरान कमशः अपने अपने अपील आवेदन एवं जवाब में वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख किया।

उभय पक्षों के सारे कागजातों और बहस सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता खतियानी रैयतों– माचिया उरॉव और दलगोविन्द उरॉव के तीसरे भाई बुधन लाल उरॉव का नाम खतियान में दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता अथवा उनके पूर्वज का जमाबन्दी नहीं चलता रहा है जिससे प्रमाणित होता है कि वे दखल में नहीं रहे।

इसके विपरीत विमला देवी अपने को रामकिष्टो उरॉव का उत्तराधिकारी बताती है। रामकिष्टो का पिता रघुनाथ उरॉव बताया जाता है जो खतियानी रैयतों मोचिया एवं दलगोविन्द के पिता कड़िया उरॉव का भाई बताया गया है। विमला के पति रामविलास उरॉव को सम्भवतः "घर जमाई" बनाया गया था क्योकि "उरॉव समाज" की परम्परा में पुत्री अचल सम्पत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बनती है।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपना–अपना दावा खतियानी रैयत के आधार पर कर रहे हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति का वंशज बता रहे हैं जिनका नाम खतियान में मौजूद नहीं है। वर्त्तमान अपीलीय न्यायालय में ऐसे मामलों का निर्णय सम्भव नहीं है क्योंकि स्वत्व का निर्धारण व्यवहार न्यायालय के अधिकार सीमा में निहित हैं।

अतएव अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक– 15.01.2008

लेखापित एवं संशोधित

15/1/08

अपर समाहर्ता,
रॉची।